




HFS

Illinois Department of
Healthcare and Family Services



आप्रवासी वरिष्ठों के लिए स्वास्थ्य लाभों

65 वर्ष और अधिक की आयु के पात्र व्यक्तियों हेतु आप्रवासी वरिष्ठ कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य लाभ को तत्काल रूप से नए नामांकन करने वालों के लिए 6 नवंबर को शाम 5 बजे से स्वीकार करना रोक दिया जाएगा। नामांकन रोके जाने से पहले इस स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के लिए आवेदन करने का आपका यह आखिरी मौका है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप लाभों के लिए www.abe.illinois.gov पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फोन से आवेदन करने के लिए ग्राहक कॉल केंद्र में 1-800-843-6154 पर कॉल कर सकते हैं, कागजी आवेदन का भी अनुरोध कर सकते हैं।